

लोक सूचना	हुक्म या कार्यवाही नय इनिशियल जज डांवरराम बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार बिलाड़ा) सू.अ.अ अपील संख्या 139/2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
139/2017	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी डांवरराम पुत्र लादुराम,पता सरगरों का बास, ग्राम उदलियावास, तहसील बिलाड़ा जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 14.08.2017 में उसके द्वारा (1) सांवल पुत्र रूपा व लादिया पुत्र रावत जाति सरगरा निवासी उदलियावास के नाम से जरिये नायब तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा खसरा सं. 303 में से मिसल सं. 4197/78 तारीख 29.07.78 को जारी मिसल, सनद पट्टा की सत्यापित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार बिलाड़ा) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।</p>	